28/1/12

कैबिनेट मिशन योजना का वर्णन करें।

15 मंगलवार

1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन की राजनीति का एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। इंग्लैण्ड के चुनाव में मजदूर दल को विजय मिली और एटली इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री बने एटली ने पहले ही घोषणा की थी कि मजदूर दल के सरकार बनते पर भारत को औपनिवेशिक साम्राज्य प्रदान किया जाएगा। एटली प्रधानमंत्री बनते ही भारत के संवैधानिक गतिरोध समाप्त करने तथा स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए मंत्री लार्ड पैथिक लॉरेंस को अधिकार दिया। लोरेंस ने घोषणा की कि एक कैबिनेट मिशन भारत जाएगा। 15 मार्च 1946 को एटली लोकसभा में

16 बुधवार

घोषणा की कि भारत की स्वतंत्रता को अंग्रेजी सरकार स्वीकार करती है तथा कैबिनेट मिशन भारत की समस्या का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है जिसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक दोनों के हितों पर ध्यान देगी।

मंत्रीमंडल मिशन → मंत्रीमण्डल मिशन 13 मार्च 1946 को पहले कराची आया फिर दूसरे दिन दिल्ली पहुँचा यह मिशन भारत के उज्ज्वल भविष्य को लेकर आया था इस मिशन के सदस्यों ने प्रमुख भारतीय नेताओं से बात की जिसमें विभिन्न राजनैतिक

मांग के मिशन ने कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के विचारों पर ध्यान दिया शिमला में तीन दलों के नेताओं का सम्मेलन हुआ लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला मंत्रीमण्डल मिशन ने स्वयं एक योजना बनाई जिसे इतिहास में मंत्रीमण्डल मिशन कहा जाता है प्रधानमंत्री एटली को मई 1946 में घोषणा करना पड़ा कि मिशन ने क्या प्रस्ताव दिया।

मंत्रीमण्डल मिशन ने सुझाव दिया था कि केन्द्र में एक स्थाई सरकार बनायी जाए जिसका उद्देश्य था एक नवीन संविधान बनाना। यह भी था कि भारत के लिए कैसा शासन विधान हो, इस सम्बन्ध में एक स्थाई सरकार के माध्यम से

विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करना।

मुस्लिम लीग के सामने पाकिस्तान का निर्माण लक्ष्य था वह किसी भी कीमत पर लक्ष्य से हटना नहीं चाहता था। कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता न होना मिशन को बड़ी कठिनाई थी कॉंग्रेस पाकिस्तान की मांग अनुचित समझता था इस विरोधाभास में मिशन ने कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को नहीं माना और अपने तरफ से मिशन ने एक योजना [illegible] जिसके मुख्य बात थी।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

जनवरी 2019

19 शनिवार

भारत में एक संघ शासन की स्थापना, जिसमें ब्रिटिश
(1) भारत में एक संघ शासन की स्थापना जिसमें ब्रिटिश प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्ता
और देशी राज्य शामिल हों प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्ता
प्राप्त होगी केवल वैदेशिक संघ रक्षा और आवागमन
को केन्द्र के अधीन रखा जाएगा।

(2) संघ सरकार में देशी राज्यों और प्रान्तों को
प्रतिनिधि रहेंगे। साम्प्रदायिक विषयों पर हिन्दू
और मुसलमान दोनों के बहुमत के आधार पर निर्णय
लिया जाएगा। प्रान्तों को आपस में मिलकर शासन
सम्बन्धी समुदाय बनाने का अधिकार रहेगा देशी
राज्य के अधिकार में वे विषय सुरक्षित रहेंगे
जिसको संघ सरकार को हस्तान्तरित न किया

20 रविवार

गया हो इस योजना के अन्तर्गत नये
संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा
की व्यवस्था की गई थी जिसमें भारतीय प्रान्तों
से 262 प्रतिनिधि और चीफ कमिश्नर से 4 प्रतिनिधि
सदस्यों को सम्प्रदाय के आधार पर बाँटा गया
था मुसलमान 78, सिक्ख — 4 गैर मुसलमान
और चीफ कमिश्नर के 4। यह व्यवस्था की गई थी
यह व्यवस्था तब तक के लिए जब तक संविधान
सभा नये संविधान का निर्माण न कर ले तब तक
एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई देशी
राज्यों को कहा गया कि संविधान निर्माण के
देशी राज्यों को अधिकार हस्तांतरित कर देंगे

कैबिनेट मिशन के गुण → भारतीय संविधान के निर्माण के लिए यह एक ईमानदारी के साथ किया गया प्रयास था यद्यपि इसे मिशन ने पाकिस्तान के विचार को अस्वीकार कर दिया था और यह कहा था कि प्रस्तावित व्यवस्था आंतरिक झगड़ों तथा राष्ट्रीय एकता को भी चोट पहुंचायेगी लेकिन मुसलमानों को ~~प्रसन्न~~ प्रसन्न करने के लिए इस योजना में कई बातें शामिल की गई। प्रांतों को वर्गों में बांट दिया गया ताकि उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए। संविधान सभा का प्रस्ताव प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित था इसका चुनाव आधुनिक प्रतिनिधित्व तथा जनसंख्या के आधार पर होना निश्चित हुआ। देसी राज्यों की जनता को

उचित मान्यता प्रदान की गई अंतरिम सरकार की स्थापना में भारतीयों को प्रधानता थी ये सब कैबिनेट मिशन के दूरगामी परिणाम थे। संविधान निर्माण इस योजना का सबसे मधुर फल कहा जा सकता है।

योजना के दोष → दोष के तौर पर कहा जा सकता है कि मिशन एक ऐसे योजना केन्द्र की स्थापना करना चाहती थी जो कमजोर हो [illegible] स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थी

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

23 बुधवार

पहले कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव किया था कि संविधान का निर्माण प्रान्तों को उनके गुटों में कर लिया जाना उसके बाद संविधान निर्माण संघीय स्थापना करती। देशी राज्यों के संबंध में जो व्यवस्था कैबिनेट मिशन ने प्रस्तुत की वह बेहद विरोधाभासी था। भारतीय संघ में शामिल होने या अलग रहने का अधिकार उन्हें दिया गया था।

सिक्खों को भी इस योजना से लाभ नहीं मिला। योजना को पूरी तरह से न तो स्वीकार किया जाता और न पूरी तरह अस्वीकार। अन्तरिम सरकार के गठन में मु-

24 गुरुवार

मुस्लिम लीग को बहुत अधिक महत्व दिया गया। उन्हें पाँच स्थान दिये गये जबकि काँग्रेस को केवल 6 काँग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र पर संदेह किया गया। यह सवर्ण हिन्दुओं के साथ यह अन्याय था।